फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री अजय चौधरी पिता श्री रामपाल चौधरी नि0 A-77 नई आबादी शहीद भगत सिंह मार्ग कांकरोली जिला राजसमन्द
– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द – प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या** 71 / 2024

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाए जारी की गई

दिनांक 04.09.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द से जरिये क्रमांक :– आर.टी. आई / 24 / 488 दिनांक 02.09..2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी श्री अजय चौधरी पिता रामपाल चौधरी, द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदन का अवलोकन किया गया, आवेदन में चाही गई सूचना के संबंध में प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक आरटीआई / 24 / 371 दिनांक 24.07.2024 से सूचना के संबंध में सूचित कर दिया गया है आवेदन में चाही गई सूचना के संबंध में प्रार्थी को शेष सूचना बिन्दु संख्या 2 की सूचना की प्रमाणित प्रति तैयार कर इस कार्यालय के पत्रांक आरटीआई / 24 / 480 दिनांक 02.09.2024 से सूचना भिजवा दी गई है

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 1 एवं बिन्दु संख्या 2 की सूचना उपलब्ध करा दी गई हैं। अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करा दी जाने से उक्त अपील खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)